राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7–ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपरु – 302016
फोन नम्बर: 0141-4004914, Website: www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पैरामेडि.कौं./लेखा/2022–23/ 257 **दिनांकः– 10.06.2022**

–::सीमित बोली आंमत्रण सूचना::–

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, सी–7–ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपरु – 302016 को विडियोग्राफी कार्य हेतु अनुभवी इच्छुक व्यक्ति/ फर्म, जिनके पास स्वंय का अनुभवी विडियोग्राफर मय अच्छी गुणवत्ता का विडियो केमरा व सी.डी. हो, से निर्धारित प्रपत्र में बोली आंमत्रित की जाती है। इच्छुक बोलीदाता अपने प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक **21.06.2022** को अपरान्ह **01.00** बजे तक प्रस्ततु कर सकते है। आवेदन प्रपत्र एवं बोली की शर्ते इस कार्यालय की बेबसाइट www.rajasthanparamedicalcouncil.org पर देखी एवं प्राप्त /डाउनलोड की जा सकती हैं। प्राप्त बोलियों को दिनांक **21.06.2022** को अपरान्ह **3.00** बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोला जावेगा।

किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्त्ता का होगा।

(कैलाश नारायण मीना)
रजिस्ट्रार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7–ए, सुल्तान हाउस, सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपरु – 302016
फोन नम्बर: 0141-4004914, Website: www.rajasthanparamedicalcouncil.org

विडियोग्राफी कार्य के लिए बोली–प्रपत्र

1. बोलीदाता का नाम ....
2. पूरा पता ....

   ....
3. टेलीफोन नम्बर .... मोबाईल नं. .... पैन नं. ....

   फर्म का GST नं. : ....
4. ई–मेल आई.डी. नं.: ....
5. बोली आमन्त्रण सूचना संख्या ....
6. विडियोग्राफी कार्य के लिए प्राप्त प्रशिक्षण योग्यता एवं अनुभव का विवरण (दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें) ....
7. आवेदनकर्त्ता का Address Prof फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड व GST नं. की (स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करें): ....
8. मैं/हम राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल जयपुर द्वारा जारी बोली आमंत्रण सूचना संख्या .. ..दिनांक .... के संदर्भ में बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न की गई शर्तों को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं। सहमति के रूप में शर्तों के सभी पृष्ठों पर मैंने/हमने हस्ताक्षर कर दिये गये है।
9. अधिकृत व्यक्ति (जो वीडियोग्राफी का कार्य करेगा) का नाम एवं पता : ....

   ....

10.विडियोग्राफी दर (प्रति दिवस–प्रति व्यक्ति) रू.........................(शब्दों में ....

..)

11.संलग्न प्रपत्र–अ (शर्तें)

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं दिनांक
(फर्म/संस्था की स्थिति में मोहर भी लगावें)

विडियोग्राफी कार्य की शर्ते

1. विडियोग्राफी कार्य में प्रशिक्षित एवं अनुभवी फर्म/व्यक्ति बोली के लिए पात्र होगें।
2. विडियोग्राफी का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान होगा। जिसके लिए कार्यालय द्वारा अनुमोदित बोलीदाता को पूर्व सूचित किये गये समय एवं स्थान पर विडियोग्राफी के लिए अनुभवी विडियोग्राफर मय अच्छी गुणवत्ता का विडियो कैमरा उपलब्ध करवाना होगा।
3. प्रति कार्य दिवस न्यूनतम 01 (एक) एवं अधिकतम 10 (दस), जैसी भी स्थिति होगी, विडियोग्राफर आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने होंगें।
4. कार्य आदेश जारी करने की तिथि से 03 दिवस में वांछित विडियोग्राफर उपलब्ध कराने होगें। यह अवधि घटाने एवं बढाने का अधिकार रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को होगा।
5. विडियोग्राफी कार्य अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिये, जिसकी सी.डी. तैयार करके देनी होगी जो विभाग की संतुष्टि के अनुसार होनी आवश्यक है। यदि सी.डी. विभाग की संतुष्टि के अनुरूप नहीं बनती है तो पुनः सी.डी. तैयार करके देनी होगी, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान कौंसिल द्वारा देय नहीं होगा। सी.डी. बोलीदाता द्वारा ही उपलब्ध करानी होगी।
6. अनुमोदित बोलीदाता के कार्य से विभाग के संतुष्ट नहीं होने की दशा में कौंसिल द्वारा कभी भी अनुबंध को निरस्त किया जा सकेगा।
7. दरें शब्दों एवं अंको में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होंगी जिन पर कोई काट–छांट ओवर राइटिंग आदि नहीं होनी चाहिए। अंको एवं शब्दों में लिखित दरों में अन्तर होने की स्थिति में, दौनों में जो दर न्यूनतम होगी, वही मान्य होगी।
8. सफल बोलीदाता को दर अनुमोदन का पत्र जारी होने की दिनांक से 15 दिवस में रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। जिसका व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। बोलीदाता को कार्यसम्पादन प्रतिभूति **(Work Performance Security)** राशि 10,000/–रू. (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) जमा करानी होगी, जो कार्य के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् लौटाई जाएगी।
9. **किसी भी बोली को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को होगा।**
10. यदि बोलीदाता कोई ऐसी शर्त जोड़ता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हो और जो कौंसिल को स्वीकार्य नहीं हो तो बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।

11. वीडियोग्राफी कार्यादेश जारी करने पर कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। कार्य होने के उपरान्त कौंसिल को बिल प्राप्त होने पर अनुबंधानुसार/नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। बोलीदाता को समयानुसार (साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक) बिल प्रस्तुत करने होगें।
12. विडियोग्राफी कार्य हेतु एक से अधिक बोलीदाताओं का पैनल बनाने का अधिकार रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर को होगा।
13. विडियोग्राफी के लिए दरें प्रतिदिन–प्रतिव्यक्ति देनी होगी जिसमें सभी प्रकार के प्रभार (यदि कोई हो तो) शामिल होगें। बोली में अंकित दरों के अलावा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल का निर्णय अन्तिम होगा।
15. जयपुर से बाहर विडियोग्राफी कार्य के लिए अनुमोदित दर के अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी रेल अथवा बस (एक्सप्रैस/डीलक्स) का वास्तविक किराया देय होगा।
16. जयपुर से बाहर रात्रि विश्राम होने पर प्रति रात्रि – प्रति व्यक्ति राशि 300/– (तीन सौ मात्र) रूपये की दर से अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय दिनांक

(फर्म/संस्था की स्थिति में मोहर भी लगावें)